

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ20(101)/लेखा/आकाशि/पी.डी./2020/08-03

दिनांक: 5.6.2020

प्राचार्य,

राजकीय महाविद्यालय


कुम्भलगढ़

विषय: ब्याज रहित निजी निक्षेप खातों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्त (मार्गोपाय) विभाग के पत्र क्रमांक प.8(4)विमा/2020 जयपुर, दिनांक 17 मार्च 2020 (प्रति संलग्न) के अनुसार संबंधित कोषाधिकारी, राजसमन्द को आपके महाविद्यालय का ब्याज रहित निजी निक्षेप खाता खोलने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। अभी तक महाविद्यालय का ब्याज रहित निक्षेप खाता नहीं खुला हो तो संबंधित कोषालय से संपर्क कर निजी निक्षेप खाता संख्या प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार




वित्तीय सहायकार
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 5.6.2020

क्रमांक: एफ20(101)/लेखा/आकाशि/पी.डी./2020/08-03
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।



वित्तीय सहायकार
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(मार्गोपाय अनुभाग)

प.8(4)विमा/2020

जयपुर, दिनांक 17 मार्च, 2020

उप कोषाधिकारी,
कुम्भलगढ़ ।

विषय :- प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, कुम्भलगढ़ के नाम से ब्याज रहित निजी निक्षेप खाता खोलने बाबत ।

महोदय,


उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर की पत्रावली संख्या प.6(15)शिक्षा / गुप-3 /2017 में किए गए प्रस्ताव के अनुसार प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, कुम्भलगढ़, के नाम से ब्याज रहित निजी निक्षेप खाता संख्या 6944 निम्नांकित बजट मद में खोले जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

- 8443 - सिविल जमा
- 00 - सिविल जमा
- 106 - व्यक्तिगत जमा
- (00) - व्यक्तिगत जमा
- [00] - व्यक्तिगत जमा

महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की फीस राशि जमा करवाने हेतु।


उक्त खाते का संचालन प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, कुम्भलगढ़ के एकल हस्ताक्षर द्वारा किया जावेगा । कृपया प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, कुम्भलगढ़ का निजी निक्षेप खाता खोलकर इस विभाग एवं अन्य संबंधितों को सूचित करें ।

भवदीय


(सुनील सोनी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर ।
2. शासन सचिव (उच्च शिक्षा) विभाग
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
4. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
5. तकनीकी निदेशक, NIC (IFMS Cell), सचिवालय, जयपुर
6. कोषाधिकारी, राजसमन्द
7. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, कुम्भलगढ़
8. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव

